

आपने 982 दिनांक 27/02/22

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. 791/2022
 पुं. श्री. Director, Patlipute, Nagaon, Assam
 आवेदन सं. 791/2022
 संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्तियों का और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाय।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण से)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले आवेदकों और अवभारों के बारे में कहीं भी और पुराने सम्बन्ध अनुक्रमणिका में ता. 2022 तक तालास की गई और वेही तालासों के बाद निम्न सम्पत्तियों और अवभारों का पता पता है।

क्रम सं.	संपत्ति का विवरण	निश्चयन की तारीख	ब) दस्तावेज प्रकार और गुण	पत्तों के भाग		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति निर्देश		
				निश्चयक	राशेदार	खण्ड	बन	पृष्ठ
1	Manira - Oraya	H-06	3722, 3724, 3736, 3738, 3737, 3723, 3726 & 3735 Total	3722, 3724, 3736, 3738, 3737, 3723, 3726 & 3735 Total	63 & 130	107		
	Area - 62 Dec.							

क) दस्तावेज को अनुसूचित विवरण दर्ज करे। Bidyut Roy
 ख) 1. संपत्ति-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करे; बशर्ते, कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 2. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करे।

में यह भी प्रमाणित करना है कि सम्बन्धित सम्पत्तियों और अर्बनारी पर छौट, वसत सम्पत्ति की प्रमाणित करने वाले किन्हीं अन्य सम्पत्तियों और अर्बनारी पर वसत नहीं पडा है।

निम्न व्यक्ति ने तत्सारी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - *Z*


(परमाण) - *clerk*

तत्सारी कर सत्यापन और प्रमाणपत्र की औप निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(परमाण) - *clerk*

कार्यालय *Dist. Sol. Registry Office*



तारीख *27/3/20*

[Signature]
निम्नलिखित परामर्शियों का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो सम्पत्तियों और अर्बनारी दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्राप्त प्रस्तुत-संज्ञित विवरण की अनुसंधान पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से किन्हीं अन्तर्गत सम्पत्तियों की निरस्तित तत्सारी के से-दिखाया-गया-हो-सो-पै-सो-रतने-में से प्रमाणित सम्पत्तियों (ट्रान्स्फेर) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

3) निम्नलिखित नियम की धारा 50 के अधीन जो व्यक्ति बहिरी और अनुक्रमणियों (इन्वेन्टरी) की प्रविष्टियों देखाया जायेंगे हो, अपना ही उनपर प्रतिनिधि सेवा चाहते हो अपना किन्हीं विनिश्चित संज्ञितियों के अर्बनारी के प्रमाणपत्रों की जर्जरत हो उन्हें तत्सारी खर्च करना होगा। विहित कीस पर गुणगान करने पर खिसा और अनुक्रमणियों उनके तत्सारी रख दी जायेंगी।

क) किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तत्सारी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तत्सारी अपने परासक सत्यापनी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तत्सारी परिणाम की विरती मूल के सिंग विरती की तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

ख) और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तत्सारी स्वयं की है और यदि वर्तमान तत्सारी पर सत्यापनी और अर्बनारी के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे सम्पत्तियों और अर्बनारी की सूट के सिंग विरती की तरह जिम्मेदार न होगा जिससे प्रस्तुत सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

*Search made by me
Indrjit Kumar*